

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर

जिला हनुमानगढ

रिट्म

बनाम

राजकुमार

किस्म मुकदमा , 88 188, आर.टी.एक्ट.

नम्बर 885

सन-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल, जज	नम्बर व तारीख
28.09.2022	वादी की ओर से वाद पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जिस पर सिगेदार की रिपोर्ट हो चुकी है वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 04.11.2022 पेश हो	
4/11/22	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब ... पत्रावली दि. 2/10/23 को पेश हो	
8/3/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब ... पत्रावली दि. 2.6.15/23 को पेश हो	
13/3/23	वादी संख्या 61 की ओर से गकार्डिग जरिये गारा कागल द्वारा जारी पत्र पेश हुए पर पत्रावली पेशी में ली गयी जागी का गारा का डरवाब में शामिल है। प्रतिवादी संख्या-61 के जवाब डारा उत्तर किया गे शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्तु तलबी शेष प्रतिवादीगण दिनांक 24/03/2023 से पेश हो	Kejari
24/3/23	वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं 1, 3 तथा 5 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र किशोर जोशी तथा प्रतिवादी सं 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भक्तनी कुमार तिवाड़ी ने वकालतनामा मय जवाब डारा पेश किए जो शामिल सिखल है। पत्रावली वास्तु जवाब स्टेट दिनांक 5/4/23 से पेश हो	
5/4/23	वकालत फाटिकेन उपस्थित। पत्रावली वास्तु जवाब स्टेट दिनांक 2/4/23 से पेश हो	
12/9/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब ... पत्रावली दि. 16/10/23 को पेश हो	



21/4/23

पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब
...अ.नं. (21/10/23) को पेश हो
पत्रावली दि० ... 21.06/23 को पेश हो

20/6/23

पत्रावली प्रशासन को रजि. सं. 100/2023
वर्ष 2023 के अंत में पेश हुई ...
... 20/6/23 को पेश हो

12/9/23

पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब
... 12/9/23 को पेश हो

12/10/2023

पत्रावली वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
लेने पर ये भी में ली गयी प्रार्थना पत्र
में निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण
का बीच संघर्ष में प्रहरी राजीनामा हो
उका है और वादीगण अपने बाद में आगे
कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है।
बाद वादीगण राजीनामा के आधार पर
अरि विद्रोह रवाजि फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया।
पत्रावली बहल पर विचारधीन है जिसे भागरी
वादीगण सेगी 16/10/23 मुकरर है। न्यायहित
में वादीगण का प्रार्थना पत्र अदिये उत्तुत
कुदरती कमी माता काजल स्वीकार किया
जाता है। अनुवारी बाद रिक्त आदि कनाम
राजकुमार आदि प्र 60 885/2022 इसी स्टेज
पर withdraw किया जाता है। पत्रावली
नम्बर के कम बाद तकमील डाबिल
उफर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर